"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 274] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 26 अक्टूबर 2006—कार्तिक 4, शक 1928

वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/56/2006/वाक/पांच (86).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की अनुसूची-2 के भाग-दो की प्रविष्टि क्रमांक 27 में की गई अपेक्षाओं के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-10/56/2006/वाक/पांच (45), दिनांक 28-4-2006 में नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल को "पूंजीगत माल" की सूची में जोड़ा जाता है, यथा,—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	वस्तु का नाम (2)
25	सीमेंट उद्योग तथा विद्युत उत्पादन करने वाले उद्योग के लिये मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स एवं पूर्जे

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2006

क्रमांक एफ-10/56/2006/वाक/पांच (86).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/56/2006/वाक/पांच (86), दिनांक 26-10-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 26th October 2006

NOTIFICATION

No. F-10/56/2006/CT/V (86).—In notification No. F-10/56/2006/CT/V (45) dated 28-4-2006 issued by the State Government in pursuance of the requirement under entry 27 of part II of Schedule-2 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the goods specified in Schedule below are added as "Capital goods", namely.—

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of Goods (2)
25	Machinery, spare parts and components for cement industries and power generating industries.

2. This notification shall come into force with effect from the date of publication in official gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
K. R. MISRA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.